न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 06 / 2018

मानसिंह पुत्र बुद्वा जाति जाट निवासी पाऊआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.......प्रार्थी0

बनाम

तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीा

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्व तहसीलदार कुम्हेर उनवानी सरकार बनाम मानसिंह न. 42 / 17

उपस्थितः–
श्री पंकज कुमार अभिभाषक प्रार्थी
श्री राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय   दिनांक 17.4.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार कुम्हेर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा प्रकरण में जानबूझकर नजदीक तारीख पेशी दी जारही हैं। तहसीलदार कुम्हेर के समक्ष इस बाबत आपत्ति की गई तो उन्होने प्रार्थी से कहा कि उन पर दबाब है वे प्रकरण को शीघ्र निस्तारण करेगें। विवादित आराजी बाबत एक प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी है। तहसीलदार कुम्हेर जिस पर कोई घ्यान नही दे रहे हैं। तहसीलदार कुम्हेर के व्यवहार से प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिये तहसीलदार कुम्हेर के यहॉ विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार कुम्हेर से टिप्पणी तलब की गई । तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुम्हेर ने अंकित किया है कि प्रार्थी के खिलाफ चारागाह भूमि पर गैर कानूनी अतिक्रमण का प्रकरण विचाराधीन है। प्रार्थी

.......2

अवैध रुप से फसल काटकर नाजायज फायदा लेना चाहता है। अधोहस्ताक्षकर्ता पर किसी का कोई दबाब नहीं हे। प्रार्थी प्रकरण को लम्बा खींचने की नीयत से आक्षेप लगाये गये हैं। उन्होने यह भी अंकित किया है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर का कोई स्थगन प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया हें यदि स्थगन होता तो प्रार्थी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर के अपीलीय प्रकरण में पेश करता। यदि स्थगन आदेश है तो प्रार्थी उसकी प्रमाणित प्रति पेश करें। इस प्रकार योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने सिवाय जुबानी कथनों के ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे उसके मौखिक कथनों को बलमिलता हो। इस सम्बन्ध में आरआरटी2012 (1) पेज 437 स्पष्ट है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है। यदि प्रार्थी के पास किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश है तो वे तहसीलदार कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत करें।

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुम्हेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.4.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official